

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर

अज अदालत.....(S.D.O.) ब्रायत..... मुकाम.....

.....हरदानराम तोंडे बनाव..... मेहराराम तोंडे.....

किस्म मुकदमा..... २१० आवेटा १११,१२८..... RLR नं..... ०५/२०२२..... सन्..... २०२२.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>०५/०१/२२</p> <p>०८/०२/२०२२</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री..... रतनाराम जोधरी.....</p> <p>ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा..... १११, १२८..... RLR.....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..... ०८/०२/२०२२..... को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विपार्थी गणों के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिये शामिल पत्रावली विपार्थी गणों/विपार्थी-गणों वाक्युत तामिल अनुपस्थित।</p> <p>स्पष्टाचार्य समग्र तीन बार शिवराज लम्बाई गई, मीनतम शिवराज ५-५५ पम पर लम्बाई गई विपार्थीगण स्वयं या उन ही मोर ले कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ लिखत विपार्थीगणों के विरुद्ध एडवोकेट बानवरी प्रमल में लाई जाती है।</p> <p>अतः वास्ते वदत पत्रावली दिनांक २३/०५/२०२२ को पेश की/गई।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>

उपसहायक अतिरिक्त सहायक कलक्टर
जिला, ब्रायत

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

नं व मां
श्री इग
तामिल नं

क्रमांक : वाट / 2022 /
प्राथी

न्याया
71
हरदानराम
जाति ज
पटव
ह
प

23/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 715

दिनांक : 23/5/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हरदानराम पुत्र वीरमाराम वगैरा 03,
जाति जाट, निवासी बेरी नाडी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

1. मेहराराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 61,
जाति जाट, निवासी बेरी नाडी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 05/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - डुगराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिड़ा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 819/71 रकबा क्रमशः 7.4705 हैक्टर व मौजा बेरी नाडी पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बाडमेर के खेत खसरा नं. 466/127, 77, 78 रकबा क्रमशः 14.5687, 0.2023, 8.0290 हैक्टर व मौजा अमरजी की ढाणी पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बाडमेर के खेत खसरा नं. 67/410 रकबा 5.0505 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 716 - 720

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हरदानराम पुत्र वीरमाराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री मेहराराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 61,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(उपखण्ड अधिकारी बायतु)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर
दिनांक :

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु